



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-31/2015- 803

दिनांक : 04.06.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन,
राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत एल०के०टी०एस०/साल एवं उसके सहयोगी पौधों तथा बाँस कल्म कटिंग से तैयार पौधों का द्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल रु० 3.903 लाख (तीन लाख नब्बे हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-27/2010-59/स्वी० व०प० दिनांक 17.12.2013 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-27/2010- 03/आ० व०प० दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग, उप शीर्ष- 01 “वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 3.903 लाख (तीन लाख नब्बे हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601005010103	3.750
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601005010323	0.153
कुल :-		3.903

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19P240601005010103 तथा पी0 19P240601005010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।


13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Condidate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षरोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्तप्राय प्रजाति के पौधों यथा; कल्पतरु आदि का टिशू कल्चर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Condimate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्तप्राय प्रजाति के पौधों यथा, कल्पतरु आदि का टिशू कल्वर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-31 / 2015-803 दिनांक— 04.06.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Condimate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्तप्राय प्रजाति के पौधों यथा; कल्पतरु आदि का टिशू कल्वर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015-803 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015- 803 दिनांक- 01.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना एवं शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत एल0के0टी0एस0, बाँस कल्म कटिंग से तैयार पौधों एवं साल पौधों का द्रायल वनरोपण का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि रुपये में)

क्र0 सं0	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii			iii
1	एल0के0टी0एस0 / साल एवं उसके सहयोगी पौधों का द्रायल वनरोपण, 2 हेठो (गढ़खटंगा एवं गम्हरिया में 1-1 हेठो)	1.959	0.092	2.051
2	बाँस कल्म कटिंग से तैयार पौधों का द्रायल वनरोपण, 2 हेठो (गढ़खटंगा एवं गम्हरिया में 1-1 हेठो)	1.791	0.061	1.852
योग :-		3.750	0.153	3.903

नोट :- विभागीय स्वीकृत्यादेश 59 दिनांक 17.12.2013 द्वारा स्वीकृत।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

वास्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नानिल दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित भी जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-31A/2015/803

दिनांक -

04-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601005010103	28959	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	375,000.00 रुपये तीन लाख पचासतर हजार
2	P 19 240601005010323	28960	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	15,300.00 रुपये पंदह हजार तीन सं
योग:				390,300.00
क्रमिक योग:			रुपये तीन लाख नवे हजार तीन सौ	

(SRI Y. K. SINGH CHAUHAN (IFS))
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जानेवाली अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना अंतर्गत उगाए गए एल०के०टी०एस०, बहुउद्देशीय प्रजाति (बीजा-साल, साल, आसन, प्यार, सोना-पाठा, करम आदि) / औषधीय (हरें, बहेरा, आँवला आदि) साल पौधों का द्रायल वनरोपण का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु कार्य दर तालिका

मजदूरी : 221.61 प्रति मानव दिवस

पीटों की दूरी - 2 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 2500 प्रति हेक्टेयर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	दो कोडनी-निकौनी।	55	12188.55	0.00	12188.55
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)।		0.00	1710.00	1710.00
3	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष)।	365	80887.65	0.00	80887.65
4	बॉस टाटी धेरान की मरम्मति।	10	2216.10	500.00	2716.10
5	मृत पौधों का बदलाव।	5	1108.05	440.00	1548.05
6	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छाटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	5	1108.05	300.00	1408.05
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।		0.00	1500.00	1500.00
8	साईन बोर्ड का रख-रखाव एवं मापी आदि।	2	443.22	140.00	583.22
	योग :-	442	97951.62	4590.00	102541.62

अनुलग्नक-3 (ख)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2018-19 तक कार्यान्वित की जानेवाली अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत बाँस कल्म कटिंग से तैयार पौधों का द्रायल वनरोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का दर तालिका (वन अनुसंधान-सह-प्रदर्श एवं प्रसार केन्द्र, गढ़खटंगा)

मजदूरी : 221.61 प्रति मानव दिवस

पीटों की दूरी - 4 मी० x 4 मी०

पौधों की संख्या - 625 प्रति हेक्टेयर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	तीन कोडनी-निकौनी।	21	4653.81	0.00	4653.81
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)।		0.00	168.00	168.00
3	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष)।	365	80887.65	0.00	80887.65
4	बॉस टाटी की मरम्मति।	5	1108.05	500.00	1608.05
5	मृत पौधों का बदलाव।	2	443.22	176.00	619.22
6	बॉस के पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाना, एंटी टरमाइट आदि का उपयोग।	9	1994.49	276.00	2270.49
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।		0.00	1500.00	1500.00
8	साईन बोर्ड का रख-रखाव एवं मापी आदि।	2	443.22	470.00	913.22
	योग :-	404	89530.44	3090.00	92620.44